<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 29 / 2023)

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को प्रमुख नेटवर्क आउटेज की सूचना देने के लिए निर्देश जारी किए है।

नई दिल्ली, 28 मार्च 2023- प्राधिकरण ने देखा है कि तकनीकी कारणों से या प्राकृतिक आपदाओं के कारण दूरसंचार नेटवर्क के प्रमुख नेटवर्क आउटेज की घटनाओं की सूचना दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भादूविप्रा को नहीं दी जाती है। देश में लंबी अवधि के लिए ये प्रमुख नेटवर्क आउटेज, विशेष रूप से सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्रों में सेवा की उपलब्धता या गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

2. प्रमुख नेटवर्क आउटेज के मूल कारण को समझने और जरूरत पड़ने पर सेवा प्रदाताओं को स्थानीय अधिकारियों से प्रासंगिक समर्थन प्राप्त करने के लिए, प्राधिकरण ने जिला स्तर पर ऐसे किसी भी आउटेज के बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है:

क) निर्देश में निर्दिष्ट प्रारूप में, किसी जिले (केंद्र / राज्य सरकार द्वारा परिभाषित राजस्व जिला) के पूरे उपभोक्ताओं को लगातार चार घंटे से अधिक की अवधि के लिए, उनकी घटना के चौबीस घंटे के भीतर, दूरसंचार सेवाओं को प्रभावित करने वाली प्रमुख नेटवर्क आउटेज की सभी घटनाएं।

ख) निर्देश में निर्दिष्ट प्रारूप में सेवाओं की बहाली के बहत्तर घंटों के भीतर इस तरह के प्रमुख नेटवर्क आउटेज का मूल कारण और उसके लिए की गई सुधारात्मक कार्यवाही।

4. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. किसी भी स्पष्टीकरण / जानकारी के लिए श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस) भादूविप्रा से दूरभाष 011-23233602 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)

सचिव